

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] No. 90] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/PHALGUNA 16, 1940

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019

#### आधार (अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019

(2019 का संख्या 1)

सं. के-11022/632/2019/अधि-यूआईडीएआई (2019 का संख्या 1) .— आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 8 के साथ पठित धारा 54 के उप-नियम (1) तथा उप-नियम (2) के उप-खंड (एफ) और आधार (अधिप्रमाण) विनियम, 2016 के विनियम 12(7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का संख्या 1) कहा जाएगा |
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

## 2. आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण:-

- (1) प्रत्येक ई-केवाईसी कार्यसम्पादन के लिए 20 रुपए (कर सिहत) की दर से और अनुरोधकर्ता संस्था से प्रत्येक हां/नहीं कार्यसम्पादन के लिए 0.50 रुपए (कर सिहत) की दर से आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का प्रभार वसूला जाएगा;
- (2) सरकारी संस्थाएं और डाक विभाग को अधिप्रमाणन कार्यसम्पादन प्रभारों से छूट होगी; तथा
- (3) दिनांक 14 जुलाई, 2017 की राजपत्र अधिसूचना सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का संख्या 4) के अनुसार आधार नामांकन और अद्यतन सुविधाएं प्रदान करने में कार्यरत अधिसूचित व्यावसायिक बैंकों को अधिप्रमाणन कार्यसम्पादन प्रभारों से छूट

1453 GI/2019 (1)

होगी। हालांकि, ऐसे बैंक, जो आधार नामांकन और अद्यतन लक्ष्यों, समय-समय पर यथा संप्रेषित, को पूरा नहीं कर पाते हैं, से लक्ष्य की प्राप्ति में हुई कमी के अनुपात में प्रभार वसूला जाएगा।

- (4) उपरोक्त प्रभार, लाइसेंस शुल्क और वित्तीय हतोत्साहन, यथा लागू, के अतिरिक्त होंगे।
- (5) कार्यसम्पादन त्रुटि कोडों एवं उससे सम्बंधित प्रभारों का ब्योरा अलग से जारी किया जाएगा |

### 3. अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं की अनिरंतरता:-

- (1) यदि कोई विद्यमान अनुरोधकर्ता संस्था [उपरोक्त 2(2) और 2(3) विनियमों में दी गयी छूट को छोड़कर], इन विनियमों के प्रकाशन के तिथि के बाद आधार अधिप्रमाणन की सेवाओं का उपयोग जारी रखता है तो, यह समझा जाएगा कि वह निर्दिष्ट अधिप्रमाणन प्रभारों के प्रति सहमत है। संस्थाओं को उपयोग पर आधारित संबंधित बीजक (इनवोइस) जारी होने के 15 दिनों के अंतर्गत अधिप्रमाणन कार्यसम्पादन प्रभारों को जमा करना अपेक्षित होगा। 15 दिनों की अवधि के बाद भुगतान में विलंब होने पर, 1.5% प्रतिमाह की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अदा करना होगा तथा अधिप्रमाणन एवं ई-केवाईसी सेवाएं भी रोक दी जाएंगी।
- (2) यदि कोई अनुरोधकर्ता संस्था अधिप्रमाणन कार्यसम्पादन के प्रभारों का भुगतान नहीं करना चाहता है, तो वह आधार अधिप्रमाणन सेवाओं के उपयोग को बंद कर देगी और वह अपने निर्णय से तुरंत यूआईडीएआई को सूचित करेगी, और वह आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के विनियम 23 के अनुसार अधिप्रमाणन सुविधाओं को ऐक्सेस करने का परित्याग कर देगी। हालांकि, अधिप्रमाणन सेवाओं के ऐक्सेस के निष्क्रिय होने की तिथि तक लागु कार्यसम्पादन प्रभारों का भगतान करना होगा।

डॉ. अजय भूषण पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[ विज्ञापन-III/4/ असा./566/18]

## THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2019

# AADHAAR (PRICING OF AADHAAR AUTHENTICATION SERVICES) REGULATIONS, 2019 (No. 1 of 2019)

No.K-11022/632/2019/Auth-UIDAI (No. 1 of 2019).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (f) of sub-section (2) of Section 54 read with Section 8 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and Regulation 12(7) of the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations, namely:—

#### 1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2019 (No. 1 of 2019).
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

### 2. Pricing of Aadhaar Authentication Services.—

- (1) Aadhaar authentication services shall be charged @ Rs 20 (including taxes) for each e-KYC transaction and Rs 0.50 (including taxes) for each Yes/No authentication transaction from requesting entities;
- (2) Government entities and the Department of Posts shall be exempt from Authentication transaction charges; and
- (3) Scheduled Commercial Banks engaged in providing Aadhaar enrolment and update facilities in accordance with Gazette Notification no. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No 4 of 2017) dated 14<sup>th</sup> July 2017 shall be exempt from Authentication transaction charges. However, such banks, which fall short of the Aadhaar enrolment and update targets, as communicated from time to time, will be charged in proportion to the shortfall in achieving the target.
- (4) The above charges shall be in addition to the License fees and financial disincentives, as applicable.
- (5) Details of the transaction error codes and its charges shall be issued separately.

#### 3. Discontinuation of authentication and e-KYC services.—

- (1) If an existing requesting entity [except those exempt under Regulations 2(2) and 2(3) above], continues to use Aadhaar authentication services beyond the date of publication of these Regulations, it shall be deemed to have agreed to the specified authentication charges. The entities shall be required to deposit the authentication transaction charges within 15 days of issuance of the concerned invoice based on the usage. The delay in payment beyond 15 days shall attract interest compounded @ 1.5% per month and discontinuation of authentication and e-KYC services.
- (2) In case a requesting entity does not wish to pay authentication transaction charges, it shall discontinue the use of Aadhaar authentication services and intimate its decision to the UIDAI immediately, and it shall surrender its access to the authentication facilities as per Regulation 23 of the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016. However, the transaction charges as applicable till the date of deactivation of access to authentication services shall have to be paid.

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer
[ ADVT.-III/4/Exty./566/18]